भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3275

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

आठ नए शहरों के विकास के लिए निधि

†3275. डॉ. राज कुमार चब्बेवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आठ नए शहरों को विकसित करने के लिए निष्पादन-आधारित चुनौती निधि के रूप में आवंटित आठ हजार करोड़ रुपये गत पांच वर्षों के दौरान अप्रयुक्त रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजाब में, विशेषकर होशियारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके आसपास ऐसा कोई शहर या शहरी परियोजना प्रस्तावित की गई थी और यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित शहरों के नाम और स्थान क्या हैं;

(ग) अनुमोदन में विलंब, भूमि अधिग्रहण, राज्य सरकारों के साथ समन्वय या इस संबंध में नीतिगत प्राथमिकताओं में परिवर्तन सहित दीर्घ अवधि तक उक्त निधियों के उपयोग न होने या कम उपयोग होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने निधियों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने, जवाबदेही तय करने और कार्यान्वयन के लिए संशोधित समय-सीमा सहित नई शहर परियोजनाओं को पुनर्जीवित या पुनर्गठित करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) जी हाँ, 15वें वित्त आयोग (15वां एफसी) ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अपनी रिपोर्ट में 8 नए शहरों के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपये के निष्पादन आधारित चुनौती निधि की सिफारिश की है।

(ख) पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब के ‘‘मोहाली जिले में एयरोट्रोपोलिस" के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रस्तावों की विस्तृत जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि कई प्रस्तावों में नए ग्रीनफील्ड शहरों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्थागत और शासन ढांचा अल्पविकसित था, जिससे 15वें वित्त आयोग (एफसी) अनुदानों के कुशल उपयोग पर चिंताएं उत्पन्न हुईं। नए शहरों के लिए मजबूत राजस्व मॉडल के साथ बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होती है। इन पहलुओं पर प्रस्तावों में संतोषजनक ढंग से उत्तर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 'नए शहरों के विकास' के लिए किया गया बजटीय प्रावधान पहले ही अन्य अनुदानों के लिए पुनर्आवंटित किया जा चुका है और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस अनुदान के तहत कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। इन कारणों को देखते हुए, 'नए शहरों के विकास' की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब 15वें वित्त आयोग के अनुदान की अवधि 31.03.2026 को समाप्त हो रही है।

*****